

JOINT COMMITTEE INSPECTION REPORT

In The Matter of

Original Application No.95/2024(CZ)

Smt. Veena Bharadwaj Applicant(s)

Vs

Water Resource Dept. & Ors. Respondent(s)

In Compliance of Order dated 25/04/2024



Date of Inspection: 20 June, 2024

Location: Panchipura Talab/Dam, Tehsil Bairad,
Distt- Shivpuri (MP)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

Original Application No.95/2024 (CZ)

Smt. Veena Bharadwaj Applicant (s)

Vs

Water Resource Dept. & Ors. Respondent (s)

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1	Joint Committee Report	-	1-6
2	Letter of Nomination by Collector Office, Shivpuri dated 27.05.2024 (Representative Shri Shri Yunis Qurashi)	01	7
3	Letter of Nomination by Water Resource Department, Shivpuri dated 21.05.2024 (Representative Shri Vinod verma)	02	8
4	Letter of Nomination by Urban Administration and Development dated 11.06.2024 (Representative Shri J.P. Para)	03	9
5	Letter of Regional Officer, Guna dated 13.06.2024 to Smt Bina Bharadwaj to present for the spot inspection.	04	10
6	Attendance Sheet of Joint committee for inspection dated 20.06.2024 of Pachipura Dam.	05	11-14
7	Letter of Mining Officer, Shivpuri Letter No. 822 dated 14.06.2024 and Punchnama dated 13.06.2024	06	15-16
8	Executive Engineer, Water Resources Department Letter No. 822 dated 21.06.2024	07	17-21
9	Panchnama prepared on dated 20.06.2024 during joint inspection by Chief Municipal Officer, Mining Officer and Fisheries Industry.	08	22-23
10	Water analysis report of Pachipura Dam by Central laboratory MPPCB & Surface Water Quality Standards (as per IS: 2296)	09	24-28
11	Letter of Assistant Director Fisheries, Shivpuri dated 14.06.2024 and Punchnama dated 13.06.2024	10	29-30
12	Letter of Tehsildar, Bairad Letter No. 114 dated 27.06.2024	11	31-33
13	Photographs taken during the joint inspection	12	34-35

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
Original Application No.95/2024(CZ)

Smt. Veena Bharadwaj Applicant (s)

Vs

Water Resource Dept. & Ors. Respondent (s)

It is humbly submitted that Smt. Veena Bhardwaj has filed an application to the Hon`ble National Green Tribunal (CZ) Bhopal against Water Resource Department & Ors. The unlawful activities in violation of environmental rules are alleged to be going on in and around a dam cum water body named Panchipura Talab/Panchipura Dam constructed in the year 2015-2016 for the irrigation of more than 1495 hectares of the land covering 15 villages and for providing the drinkable water to be supplied to approximately more than 30000 people living in village Bairad, Tehsil, Pohari, District Shivpuri (M.P.). The following point have been raised by the applicant as under

- i. Illegal excavation of mineral in the catchment area as well as buffer zone of the water body;
- ii. Illegal development of houses and plotting work undertaken around the submerged area of water body;
- iii. Illegal establishment of milk dairies nearby the water body;
- iv. Poring of harmful chemical-cum-pesticides in the water body leading to unforeseen and sudden death of various species of fishes existing in the water body, thereby, causing normous loss to the aquatic life existing in the water body;
- v. Loss to the Fisheries Department as well as the contractor awarded the contract for carrying out fishing activities in this dam;
- vi. Encroachment over government land which was kept vacant, so as to serve the purpose of buffer zone around the water bound area of the water body in question;

- vii. Loss of revenue by way of illegal mining and transportation of mineral without payment of requisite royalty to the government exchequers;
- viii. Encroachment over feeding rivers of the waterbody such as Ber Bawdi, Samparwada etc.
- ix. Inaction on the part of government officials in taking action on the representations filed by the Petitioner;
- x. Removal of Munnars (Slab embedded to depict the water bound area of water body)

The present case was listed before the Hon'ble NGT (CZ) Bhopal on 25/04/2024. The Hon'ble Tribunal constituted a joint committee consisting as under:-

- (i) One representative from the Collector, Shivpuri (M.P.)
- (ii) One Representative from the Principal Secretary, Water Resources Department, State of MP, Bhopal (M.P.)
- (iii) One Representative from the Directorate Urban Administration and Development (M.P.)
- (iii) One Representative from the State Pollution Control Board, (M.P.)

The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support. In-Compliance to Hon'ble NGT (CZ) order Dated 25/04/2024 officers are nominated for inspection are as under :-

- (A) Shri Yunish Qureshi Joint Collector, District Shivpuri – Representative of the District Collector, District Shivpuri. (M.P.)
- (B) Shri Vinod Sharma, – Representative of principle Secretary, Water Resources Department, State of MP, Bhopal (M.P.)
- (C) Shri J.P. Para Superintending Engineer, -Representative of Urban Administration and development (M.P.)
- (D) Shri D.V.S. Jatav, Regional officer, MPPCB, Guna, representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board. Copy of official order related to nomination for joint inspection attached as **Annexure 01-03.**

The complainant Smt. Veena Bhardwaj was also requested to be present with the joint committee but she did not appear with the joint committee for inspection. The letter was written to the applicant annexed as **Annexure 04**.

The inspection of Pachipura Talab/ Dam, Tehsil Bairad, Distt. Shivpuri was conducted by the joint committee on 20.06.2024 in which following officer was present. Attendance sheet attached as **Annexure 05**

Other Officers present during the inspection are as under:-

Sr. No.	Name & Designation	Department
1.	Shri Pramod Sharma, Mining Officer	Mining Department, Distt. Shivpuri
2.	Shri Dragpal Singh Bais, Tehsildar	Tehsil Bairad, Revenue Department
3.	Shri R.S. Shejwar, SDO,	Water Resource Department, Shivpuri
4.	Shri Hemraj Singh Yadav, Sub Engineer	Water Resource Department, Shivpuri
5.	Shri Anand Kumar Jain, Sub Engineer	Water Resource Department, Shivpuri
6.	Shri Rajesh Dhakad, Patwari	Revenue Department, Shivpuri
7.	Shri Ajay Kumar Singh ,Patwari	Revenue Department, Shivpuri
8.	Shri Ballabh Singh Yadav, Patwari	Revenue Department, Shivpuri
9.	Shri Manoj Agrawal, Asst. Fisheries Officer	Fisheries Department, Shivpuri

Observation of the joint committee :-

Pachipura Dam (Near Pachipura village Distt. Shivpuri) was constructed by Water Conservation Department, Madhya Pradesh Government in the year 2015-16.

- The total cost of the dam is 44.4979 cr.
- Catchment area of Dam is 89.756 square kilometre,
- Length of dam is 1.4 kilometre,
- Height of Dam is 18.85 meter
- Water storage capacity of dam is 10.01 million cubic meter.

According to the project report, the main purpose of construction of the dam was irrigation for agriculture, accordingly the total Gross Command Area (GCA) of the dam is 1749 hectares, the Cultivable Command Area (CCA) of the dam is 1595 hectares, and Net Irrigated area is 1495 hectare, Top Bund Level (TBL) of the dam is 411.01 meter, Maximum Water Level (MWL) of the dam is 409.11 meter, Full Tank Level (FTL) of the dam is 407.75 meters and Lowest sill level (LSL) of the dam is 403.1 meter.

The water supply scheme is in operation in Nagar Panchayat, Bairad. It is being implemented by the Madhya Pradesh Urban Development Department, under which the trial and run of the scheme is underway. Currently, water is not being supplied to the citizens; water will be provided only after a contract is signed between the Madhya Pradesh Water Resources Department, Shivpuri, and Nagar Panchayat, Bairad.

Reply to the points raised by the applicant is as follows:

S.No	Brief of the Complaint	Facts
1	illegal excavation of mineral in the catchment area as well as buffer zone of the water body;	On 20.06.2024, no excavation and blasting was found during inspection at submergence affected area of Panchipura pond. The Mining Officer, Shivpuri informed that no illegal excavation and transportation was found at submergence area and catchment area of PanchiPura Dam. All the agricultural lands and inhabited areas of Panchipura Dam and pond are adjacent to it. Soil and stones were found to be extracted from the area near the pond by local people for their own use, such as repairing the embankments of fields and for other works, which is under the exemption category under Rule 3 (2) of Madhya Pradesh minor Mineral Rules 1996. <u>ANNEXURE- 06</u>
2	Illegal development of houses and plotting work undertaken around the submerged area of water body;	Information given by the executive engineer, Water Resources Department, shivpuri through letter no.820 and 822 dated 21.06.2024 that estimate of stone fixing on Maximum Water Level (MWL)

		and Full Tank Level (FTL) line has been prepared and being submitted for technical approval. After installation, status of encroachment on land will be clear. <u>ANNEXURE- 07</u>
3	Illegal establishment of milk dairies nearby the water body;	There is no dairy around the Pachhipura Dam. Cows and buffaloes are being reared for domestic use by the people living in the rural areas and they were found grazing, drinking water and bathing around the dam. <u>ANNEXURE- 08</u>
4	Poring of harmful chemical-cum-pesticides in the water body leading to unforeseen and sudden death of various species of fishes existing in the water body, thereby, causing enormous loss to the aquatic life existing in the water body;	The water of the pond has been tested by Madhya Pradesh Pollution Control Board in which water quality was found under category “A” which is drinkable after disinfection. Pesticides were not detectable in the water which makes it clear that there can be no harm to aquatic life. <u>ANNEXURE- 09</u>
5	Loss to the Fisheries Department as well as the contractor awarded the contract for carrying out fishing activities in this dam;	There is no possibility of fish mortality due to dam water as the water quality is in the category “A” in which pesticide is not detectable. <u>ANNEXURE- 10</u>
6	Encroachment over government land which was kept vacant, so as to serve the purpose of buffer zone around the water bound area of the water body in question;	Water Resources Department has prepared an estimate for installing stones/slabs around the submerged area and has been submitted to the department for approval. The status of encroachment will become clear after installing the stones. <u>ANNEXURE- 11</u>
7	Loss of revenue by way of illegal mining and transportation of mineral without payment of requisite royalty to the government exchequers;	Illegal mining and transportation was not found in the submerged area and catchment area of the dam. <u>ANNEXURE- 06 & 08</u>
8	Encroachment over feeding rivers of the water body such as Ber Bawdi, Samparwada	Water Resources Department has prepared an estimate for installing stones/ slabs around the submerged area and has been

	etc.	submitted before upper department for approval. The status of encroachment will become clear after installing the stones. <u>ANNEXURE- 7 & 11</u>
9	Inaction on the part of government officials in taking action on the representations filed by the Petitioner;	After installation of stone/slab, status of encroachment on land will be clear.
10	Removal of Munnare (Slab embedded to depict the water bound area of water body)	


 (Vinod Sharma)
 Executive Engineer
 WRD, Shivpuri (M.P.)


 (J.P. Para)
 Superintending Engineer
 Urban Administration and development
 Gwalior (M.P.)


 (D.V.S. Jatav)
 Regional officer, MPPCB,
 Vijaypuri, Distt. Guna (M.P.)


 (Yunish Qureshi)
 Joint Collector,
 District Shivpuri (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/618/स्था./6-2/2024
प्रति,27
शिवपुरी दिनांक 24 मई 2024श्री ए.ए.मिश्रा,
सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)


विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 95/2024 (श्रीमती बीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) द्वारा दिनांक 25.4.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक 609/विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/2024, भोपाल दिनांक निल।

--००--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में अनुरोध है कि संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है प्र.क्र.95/2024 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 25.4.2024 के पालन में एक संयुक्त समिति गठित किये जाने हेतु इस जिले से श्री यूनस कुरेशी, संयुक्त कलेक्टर, जिला शिवपुरी को नामांकित किया जाता है। श्री कुरेशी, संयुक्त कलेक्टर जिला शिवपुरी का मोबाईल नम्बर 9424263733 है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 24 मई 2024
27पृ.क्रमांक/619/स्था./6-2/2024
प्रतिलिपि :-

श्री यूनस कुरेशी, संयुक्त कलेक्टर, जिला शिवपुरी की ओर पालनार्थी



जिला शिवपुरी (म.प्र.)

दीपक

27/5/24

मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 21/05/2024

पत्र क्र. 22(ए)394-95/2024/NGT/एमपीएस/31/602
प्रति.


सदस्य सचिव,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी,
भोपाल

विषय:- मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 95/2024 (श्रीमती वीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) द्वारा दिनांक 25/04/2024 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 1609/विधि/NGT (CZ)/प्रनिबो/2024 दिनांक

• 000 •

विषयांतर्गत माननीय एनजीटी, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 95/2024 (श्रीमती वीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) में दिनांक 25/04/2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में जल संसाधन विभाग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में श्री विनोद शर्मा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी को नामांकित किया जाता है। श्री विनोद शर्मा का सम्पर्क सूत्र- Mob.No. 6260457737 है।


(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव,


म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. 22(ए)394-95/2024/NGT/एमपीएस/31/603
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21/05/2024

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना।
4. श्री विनोद शर्मा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल से प्राप्त प्रकरण क्रमांक 95/2024 में माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा दिनांक 25/04/2024 को पारित निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर लेख है कि प्रकरण के संबंध में कृपया क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना से संपर्क/समन्वय स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


उप सचिव

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus St
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2554083
Email: himanshu.singh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्र./शा-14/स्व.भा.मि./2024/10982
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/06/2024

सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल


विषय:- माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 95/2024 (श्रीमती वीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) द्वारा दिनांक 25.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:- सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र क्र. 1609/विधि/NGT(CZ)/प्रसिबी/2024 भोपाल, /2024/

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 95/2024 (श्रीमती वीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) द्वारा दिनांक 25.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में शिवपुरी के निकट पंक्षीपुरा डैम/तालाब में पर्यावरण कानून के उल्लंघन की जाँच हेतु संयुक्त समिति का गठन किया जाना है, जिसमें संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल से एक सदस्य नामित किया जाना है।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय से श्री जे.पी.पारा, अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. ग्वालियर/चम्बल संभाग (मोबाईल नम्बर-9425429784) को नामांकित जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(अक्षय तेजवाल)

मिशन संचालक (SBM)


नगरीय प्रशासन एवं विकास

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11/06/2024

पृ.क्र./शा-14/स्व.भा.मि./2024/10983
प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.भोपाल।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. ग्वालियर/चम्बल संभाग
3. श्री जे.पी.पारा, अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.ग्वालियर/चम्बल संभाग



मिशन संचालक (SBM)

नगरीय प्रशासन एवं विकास

मध्यप्रदेश, भोपाल



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112
ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com
दूरभाष नं. 07544-274098



By Email
Annexure-04

क्रमांक 414 /क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/एन.जी.टी/2024

गुना, दिनांक 13/06/2024


एनजीटी प्रकरण, अति आवश्यक

प्रति,

श्रीमती बीना भारद्वाज,
6/63, सरिता कॉम्प्लेक्स,
शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबा. 9644784001

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 95/2024
(श्रीमती वीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) द्वारा दिनांक 25.04.
2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।



उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, उक्त प्रकरण में संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक
20.06.2024 को जांच की जाना नियत है। यदि आप आवश्यक समझे तो निरीक्षण के
समय जांच समिति के समक्ष उपस्थित रहने एवं जांच कार्य में सहयोग हेतु उक्त जानकारी
आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


क्षेत्रीय अधिकारी

मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए.
95/2024 (श्रीमती बीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) में गठित संयुक्त
जांच समिति के सदस्यों का उपस्थिति प्रतिवेदन।

निरीक्षण स्थल- पंछीपुरा डेम, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी


निरीक्षण दिनांक- 20.06.2024

क्रमांक.	अधिकारियों का नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं. /ईमेल	हस्ताक्षर
1.	श्री जे.पी. पारा, (अधीक्षण यंत्री),	नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर (म.प्र.)	9425429784	 20/06/2024
2.	श्री विनोद शर्मा, (कार्यपालन यंत्री),	जल संसाधन विभाग, शिवपुरी (म.प्र.)	6260457737	 20/06/24 E.E.W.A.O. SHIVPUR
3.	श्री यूनश कुरैशी, संयुक्त कलेक्टर,	कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)	9424263733	 20/06/24
4.	श्री डी.व्ही.एस. जाटव, क्षेत्रीय अधिकारी	म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)	9827332693	 20/06/2024

मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 95/2024 (श्रीमती बीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) में गठित संयुक्त जांच समिति के निरीक्षण दौरान उपस्थित अन्य अधिकारियों का उपस्थिति प्रतिवेदन।

निरीक्षण स्थल- पंछीपुरा डेम, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी




निरीक्षण दिनांक- 20.06.2024

क्रमांक.	अधिकारियों का नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं. /ईमेल	हस्ताक्षर
1.	पुनोद शर्मा खनिज अधिकारी	खनिज	9425 760055	
2	दुर्गापाल सिंह वरुण तहसीलदार वरुण	राजस्व	94251-17681	
3.	अरवइन्द्र शोभाकर SDD, WRD	WRD	72239 57 459	
4.	हेमराज सिंह यादव S/E WRD	WRD	7999527107	
5.	आजय कुमार सिंह S/E WRD	WRD	700013665	
6	राजेश यादव	राजस्व	7000229710	
7	आजय कुमार सिंह	राजस्व	831979 3758	

मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 95/2024 (श्रीमती बीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) में गठित संयुक्त जांच समिति के निरीक्षण दौरान उपस्थित अन्य अधिकारियों का उपस्थिति प्रतिवेदन।


निरीक्षण स्थल- पंछीपुरा डेम, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी

निरीक्षण दिनांक- 20.06.2024

क्रमांक.	अधिकारियों का नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं. /ईमेल	हस्ताक्षर
8.	बालकृष्ण शर्मा	पंछीपुरा	9669848357	
9.	मनोज कुमार	निस्य विभाग शिवपुरी	8189776585	 20/6/24
10	S.T. R.S. चौधरी	पुलिस पान्ना बैराड़	9140334992	
11	मंसि फारुख	थाना बैराड़	9669327108	

मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए.
95/2024 (श्रीमती बीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) में गठित संयुक्त
जांच समिति के निरीक्षण दौरान उपस्थित स्थानीय लोगों का उपस्थिति प्रतिवेदन।

निरीक्षण स्थल- पंछीपुरा डेम, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी
निरीक्षण दिनांक- 20.06.2024

क्रमांक.	व्यक्ति का नाम	पता	मोबाइल नं. /ईमेल	हस्ताक्षर
1	राजेश्वर सिंह	अमरोहा	965083551	
	अजनाथ	अमरोहा शुक्ल	-	
3	नारायण सिंह	-	930287105	
4	वाइ सराम	अमरोहा	975220 77882	

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म0प्र0

क्र/3-6/खनि/ 822/2024

शिवपुरी दिनांक ...14-06-2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टैंकर पार्किंग ऐरिया, गैल कम्प विजयपुर गुना

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 95/2024 (श्रीमती वीना भारद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) द्वारा दिनांक 25/04/2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 348 दिनांक 29/05/2024

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न शिकायतकर्ता श्रीमती वीना भारद्वाज द्वारा पचीपुरा डेम के खनिज विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर दिनांक 13/06/2024 को स्थल जांच की गई बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

- 1- यह कि पचीपुरा बांध एवं उसके तालाब के कैचमेंट क्षेत्र का स्थानीय ग्रामवासियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया गया, स्थल पर अवैध खनिज उत्खनन कार्य होना नहीं पाया गया है। स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015-16 में बांध निर्माण में उपयोग में लाया गया पत्थर तालाब के किनारे इसी स्थल से उत्खनन किया गया था। बांध के ऊपर बनाई गई सर्विस रोड, डब्ल्यू.बी.एम. रोड है जिसमें उपयोग की गई मिट्टी मुरम का उत्खनन भी इसी स्थल से किया गया था। मौके पर तत्समय किये गये उत्खनन के चिन्ह अभी भी मौजूद हैं।
- 2- यह कि पचीपुरा बांध के स्थल निरीक्षण में अवैध उत्खनन नहीं पाया गया है, बांध का निर्माण कृषि भूमि की सिंचाई एवं समीपवर्ती ग्रामीण एवं शहरी आबादी को जल प्रदाय के उद्देश्य से किया गया है, उत्खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व की तुलना में बांध एवं तालाब महत्वपूर्ण है।
- 3- यह कि आवेदिका के आवेदन पत्र के संबंध में पूर्व में स्थल निरीक्षण किया गया है, बांध एवं तालाब के समीप कृषि भूमि एवं आबादी क्षेत्र लगे हुये हैं, स्थानीय कृषकों द्वारा स्वयं के उपयोग जैसे खेतों की मेंड, कुओं की मरम्मत व अन्य कृषि कार्यों के लिये तालाब के समीप के क्षेत्र से मिट्टी एवं पत्थर निकाला जाना पाया गया है जो म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 (दो) के तहत छूट की श्रेणी में है।

संलग्न :- पंचनामा एवं फोटोग्राफ

14.6.2024
खनिज अधिकारी
जिला शिवपुरी म.प्र.

New Letter

फतवा

हमने आज दिनांक 13.06.2024 को ग्राम शिवपुरा
 में बेटा पिल शिवपुरी में ग्रह कर्षण, सूर्य लिंग देना है
 कि ज्ञान बिकल्प के समर्थ में शक्ति निष्ठा एवं
 मूर्ख निरिहा किया गया है। निरिहा में ग्राम शिवपुरा
 के शक्ति एवं शक्ति इस कर्म पर फीच्यु गाम
 के बिना भी कर्म ग्रह देना निष्ठा के समय इस
 क्षेत्र में सब जमीन का मुकामा प्राप्त करने के अंतर्गत
 बिना मुकाम का कोई कर्षण नहीं है। न ही कोई
 अल्पमत एवं कर्षण का क्या किया जाना है।
 शक्ति एवं के समर्थ में मुकामा किया गया
 अल्पमत एवं कर्षण का कोई नहीं प्राप्त गया है।
 एवं कर्षण एवं कर्षण के निर्माण के समय नक्षत्र
 निर्माण हेतु सभी कर्षण अल्पमत एवं कर्षण को
 मुकाम का उपयोग किया गया था। अल्पमत के
 गठन के समय के वने हुए हैं।

शिवपुरी

दीवान
अकार

शिवपुरा

नेहा यादव

शिवदाम


शक्तिवास


बसवीर यादव

शुभ यादव

दीवान

आकाश यादव


 13.06.2024
 उ. ब. शिवपुरी


 13.6.2024
 CMO. Shivpur

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग ,शिवपुरी (म.प्र.)

पत्र क्र. 822 /कार्य/ पचीपुरा तालाब/2024-25

शिवपुरी दिनांक 21/06/24

प्रति,



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विजयपुर जिला -गुना (म.प्र.)

विषय; माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय ,म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला -गुना भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.95/2024 (श्रीमती बीना भारद्वाज विरुद्ध जलसंसाधन विभाग एवं अन्य)द्वारा दिनांक 25.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत।

-----XXX-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में श्रीमती बीना भारद्वाज द्वारा जलसंसाधन विभाग मध्य प्रदेश एवं अन्य के विरुद्ध रिट दायर की गयी है। दिनांक 20.06.2024 को निरीक्षण कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पचीपुरा तालाब की एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर मुनारे स्थापित किये जाएँ जिससे भूमि पर हुए अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सके।


अतः उक्त निर्देशानुसार एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर स्टोन फिक्सिंग कार्य का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित कर दिया गया है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही स्टोन फिक्सिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :प्राक्कलन की प्रति - 1 नग ।

पृ. क्र. /कार्य/ पचीपुरा तालाब/2024-25

प्रतिलिपि :कलेक्टर शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।


कार्यपालन यंत्री/21/06/24
जलसंसाधन संभाग,शिवपुरी (म.प्र.)
शिवपुरी दिनांक


कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन संभाग,शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग ,शिवपुरी (म.प्र.)

पत्र क्र. 820 /कार्य/ पचीपुरा तालाब/2024-25

शिवपुरी दिनांक 21/6/24

प्रति,

अधीक्षण यंत्री ,

जलसंसाधन मंडल ,ग्वालियर (म.प्र.)

विषय; माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के प्र.क्र.ओ.ए.95/2024 के अनुपालन में पचीपुरा तालाब की एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर स्टोन फिक्सिंग के कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने बावत।

-----XXX-----


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में श्रीमती बीना भारद्वाज द्वारा जलसंसाधन विभाग मध्य प्रदेश के विरुद्ध रिट दायर की गयी है। दिनांक 20.06.2024 को निरीक्षण कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पचीपुरा तालाब की एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर मुनारे स्थापित किये जाएँ जिससे भूमि पर हुए अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सके।

अतः उक्त निर्देशानुसार एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर स्टोन फिक्सिंग का प्राक्कलन तैयार किया गया है। स्टोन फिक्सिंग के कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न : (1) प्राक्कलन की प्रति - 1 नग।

(2)माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल

पारित आदेश की प्रति -1 नग।


कार्यपालन यंत्री


जलसंसाधन संभाग,शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक

पृ. क्र. /कार्य/ पचीपुरा तालाब/2024-25

प्रतिलिपि


- (1)मुख्य अभियंता यमुना कछार जलसंसाधन विभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2)अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन उपसंभाग क्र.2,शिवपुरी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कार्यपालन यंत्री

जलसंसाधन संभाग,शिवपुरी (म.प्र.)

जनरल रिपोर्ट


1. कार्य का नाम - पचीपुरा तालाब की एफटीएल एवं एम.डब्लू.एल.लाइन पर स्टोन फिक्सिंग का कार्य।
- 2 अनुमानित लागत - रू. 2.72 लाख
- 3 कार्य की आवश्यकता - श्रीमती बिना भारद्वाज द्वारा जलसंसाधन संभाग शिवपुरीके अधीन पचीपुरा तालाब पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एन.जी.टी.केस क्र.ओ.ए.95/2024 विचाराधीन है। जिसमें कलेक्टर शिवपुरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण इकाई मध्य प्रदेश की जाँच कमेटी बनाई गयी है जो इस प्रकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। दिनांक 20/06/2024 को उक्त कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पचीपुरा तालाब की एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर मुनारे स्थापित किये जाएँ जिससे भूमि पर हुए अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सके। अतः उक्त निर्देशानुसार एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर स्टोन फिक्सिंग का प्राक्कलन तैयार किया गया है।
- 4 प्रावधान - प्राक्कलन में एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर स्टोन फिक्सिंग कार्य का प्रावधान किया गया है।
- 5 दरें - प्राक्कलन की दरें जल संसाधन विभाग में प्रचलित यू.एस. आर. जो दिनांक 2017 से प्रभावशील है, उपयोग में लाई गई है।
- 6 अनुशंसा - कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्राक्कलन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।



अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग क्र.2
शिवपुरी (म.प्र.)


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

Abstract of cost of stone fixing on peripheri of FTL & MWL line of Pachhipura Tank

S.No./ UCSR I.No.	Description of Work	Unit	Qty.	Rate	Amt.
1/1.15.1	Providing chainage cum boundary, stone (as per type design no 4 of WRD)	Each	753	57	42921
2/1.15.2	Fixing chainage cum boundary stone, as per type design no 4 of WRD in M-7.5 cement concrete with 40 mm graded aggregate including excavation (any strata), handling and fixing of stone, curing etc. complete.	Each	753	234	176202
1.09.1	Levelling for head worksAbove 15 m interval for command survey and canal survey, includingsurvey for C.D. work.	KM	15.02	786	11806
Total Amt. Rs.					230929
Add 18% for GST					41567
Grand Amt.					272496



Sub Engineer



Sub Divisional Officer
W.R.Sub Dn. No.2, Shivpuri


Executive Engineer
W.R.Dn. Shivpuri

Detailed estimate of stone fixing on peripheri of FTL & MWL line of Pachhipura Tank


S.No./ UCSR I.No.	Description of Work	No.	Length in m.	Width in m.	Depth in m.	Qty.
1/1.1 5.1	Providing chainage cum boundary, stone (as per type design no 4 of WRD)					
	water spread area at FTL 288.00 Hact. Total length at FTL 4997 M Increase 40% for zig zag shape = 6996 m provide @ 20m c/c 6996/20= 349.8 say 350 nos	350				350
	Add 15% for MWL 350+53= 403	403				403
Total qty. Each						753
2/1.1 5.2	Fixing chainage cum boundary stone, as per type design no 4 of WRD in M-7.5 cement concrete with 40 mm graded aggregate including excavation (any strata), handling and fixing of stone, curing etc. complete.					
	For FTL	350				350
	For MWL	403				403
Total qty. Each						753
3/1.0 9.2	Levelling for head worksAbove 15 m interval for command survey and canal survey, including survey for C.D. work.					
	For FTL 6.99 Km.					6.99
	For MWL 8.03 Km.					8.03
Total qty. Km.						15.02


Sub Engineer


Sub Divisional Officer
W.R.Sub Dn. No.2, Shivpuri

हमने आप दिनांक 20.06.2024 के यह खरी-पारी किया है
 है कि आप दिनांक के ग्राम फनीपुरा तहसील जिला जिला प्रशासक
 द्वारा फनीपुरा के एवं इस प्रशासक क्षेत्र के जिला निरीक्षण,
 भारतीय राष्ट्रीय हरित अभियान, जोषल के के क्रमांक 35/2024
 (क्षेत्रीय क्षेत्र प्रशासन विभाग) पर सहायक-विभाग 4 (अ) द्वारा
 दिनांक 25.04.2024 के पीरत क्षेत्र के अनुपालन में किया गया है
 विभागीय पत्र संसाधन विभाग, प्रमुख अधिकारी विभाग, तहसीलदार का
 संबंधित संचालक माल्य, स्वयंसेवक अधिकारी शिवपुरी, समुदाय कलेक्टर शिवपुरी
 नगरपालिका के अधिकारी को भेजा जा उपलब्ध है। प्रस्ताव निरीक्षण
 प्रस्ताव को भेजा जा उपलब्ध है विनियम के निर्देशन किया गया है।
 इस प्रशासक क्षेत्र किसी भी प्रकार के बाधा प्रत्यक्ष नहीं किया गया है।
 इस प्रशासक क्षेत्र सुरक्षित है। बाधा बाधा नहीं होना पता चला है।
 प्रस्ताव के संबंधित काम को शिवपुरी इस प्रशासक क्षेत्र में
 भेजा जा नहीं पाये गये हैं। प्रस्ताव दिया किया गया को भेजा जा
 फनीपुरा तहसील, जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध है। उपलब्ध है।
 काम शेष।


 20.6.2024
 (M.O. Shivpur))
 विना देवप्रसाद
 मत्स्योद्योग सं. संस्था
 भापी फनीपुरा तहसील


 20/06/24
 C.M.O. Bairad
 R. EWARD
 SHIVPUR

जोषल
 20/06/24
 Teh. Bairad.

पंचनामा

श्री. नारायणदास / N.P.

आप दिनांक 20/6/24 को N.P. के प्रकाश उ. 0A 95/2024
 (उ. 0A) के अंतर्गत पंचायत द्वारा, इन क्षेत्रों का वित्तिके सदस्यों के साथ निरीक्षण
 किया गया निरीक्षण के दौरान नि. क्र. 0.3 के संवर्धन वार्ड (वाडी)
 के पास कोई भी उध उधारी संचालित नहीं पाई गई। वर्तमान
 में नगर परिषद क्षेत्र की फल प्रदाय योजना M.P.U - D.C नि. क्र. 0.3
 द्वारा किया गया है जो एही इ. 0.3 के अंतर्गत योजना का फल
 एंरन का कार्य प्रगतिरत है सभी नागरिकों को फल प्रदाय
 नहीं है, जो एही फल प्रदाय करने के प्रन पाती है गुणवत्ता
 की जांच करार कर मातु के नहार मायद-3 एका होने के ही
 फल प्रदाय किया जायेगा।


विनोद कुमार


 CMO
 N.P. Bairad


 20.6.2024
 (M.O. Shippuri)


 20/6/24
 W.P. Shippuri

उपस्थित
 (अ. 0.3)


 R. E. P. M. C. Rupesh Sanyal
 Field Engg.
 TATA P. M. C.

20/06/24
 AFO Fisheries
 20/06/24
 Teh Bairad



REGIONAL LABORATORY
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
D.D. Nagar, Housing Board Colony, Gwalior (M.P.)

WATER ANALYSIS

REPORT NO. 191

SAMPLE FROM: Panchipura Pohari Dam Shivpuri (M.P.)

Description Of Sample	Date Of Collection	Date Of Receipt	Date Of Analysis	Collected By
Panchipura Pohari Dam Shivpuri	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	Bhupendra singh narwariya AE
S.NO.	PARAMETERS ANALYSED	UNIT	RESULT	
1.	Temperature	°C	24	
2.	Appearance		Sl. turbid	
3.	Colour		colourless	
4.	Odour		Odourfree	
5.	pH	pH Unit	7.8	
6.	Turbidity	NTU	10.0	
7.	Conductivity	µmhos/cm	284	
8.	Total Solids	Mg/l	182	
9.	Total Dissolved Solids	Mg/l	140	
10.	Suspended Solids	Mg/l	42	
11.	Nitrate	Mg/l	1.15	
12.	Alkalinity as CaCO ₃	Mg/l	100	
13.	Total Hardness	Mg/l	80	
14.	Sodium	Mg/l	6.5	
15.	Potassium	Mg/l	1.20	
16.	Sulphate	Mg/l	8.6	
17.	Chemical Oxygen Demand (C.O.D)	Mg/l	24	
18.	Phosphate	Mg/l	0.20	
19.	Chloride (as Cl)	Mg/l	98.22	
20.	Calcium Hardness	Mg/l	60	
21.	Magnesium Hardness	Mg/l	20	
22.	BOD	Mg/l	1.6	
23.	FECAL COLIFORM	MPN/100 ml	4	
24.	TOTAL COLIFORM	MPN/100 ml	24	
25.	D O	Mg/l	7.2	
26.	Ammonical Nitrogen	Mg/l	0.45	
27.	Oil & grease	Mg/l	-	

Remark:- As per BIS IS: 2296: 1982 Surface water quality standards.


Chemist
Arvind Kumar


Laboratory Incharge



Central Laboratory
M.P. Pollution Control Board, Bhopal [M.P.]
 E/5, Arera Colony, Paryawaran Parisar, Bhopal – 462016
 Ph. NO. 0755-2466191, email: cl_mppcb@rediffmail.com
Test Report

Issue No **229**
 Issue Date **24/06/2024**

Report No. 50
 Sample from: Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Guna
 Reference No: Letter No.352, Dated 29/05/2024
 Sample Description: Water Samples
 1. पाषी डेम, पोहरी शिवपुरी
 Sample Container: Glass bottle
 Sample Volume: 1 x 1 ltr
 Sampling by CL/Customer: Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Guna
 Sampling date: 28/05/2024
 Received on: 30/05/2024
 Date of Start Analysis: 10/06/2024
 Date of End Analysis: 11/06/2024
 Sampling Method/Plan: APHA-23rd Edition-2017 Method-1060
 Environmental Condition: Not mentioned
 Preservation status: Preserved as per Protocol

S. No.	Analyte Tested	Unit	Test Method Number	Results
1.	Aldrin	µg/l	6630 B APHA, 23 rd Edition, 2017	ND
2.	α - BHC	µg/l		ND
3.	β- BHC	µg/l		ND
4.	γ- BHC	µg/l		ND
5.	DDT	µg/l		ND
6.	Di-eldrin	µg/l		ND
7.	α -Endosulfun	µg/l		ND
8.	β- Endosulfun	µg/l		ND
9.	DDE	µg/l		ND
10.	Methyl Parathion	µg/l		ND
11.	δ- BHC	µg/l		ND
12.	Chloropyrifos	µg/l		ND
13.	2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid	µg/l		ND
14.	Endosulfun Sulphate	µg/l		ND
15.	Phorate	µg/l		ND

- Remark:** 1. No statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B
 2. The results relate only to the items tested
 3. The report shall not be reproduced except in full without permission of Incharge Central Laboratory, MP, Pollution Control Board, Bhopal.
 4. ND –Not Detectable.

(Dr. Alok Saxena)
 Authorized Signatory
 Chief Chemist
 Central Laboratory MPPCB Bhopal
 page 1 of 1

End - of - Report



Chapter 9 RELEVANT INDIAN STANDARDS

Table 9.1. Surface Water Quality Standards (as per IS: 2296).

Class A – Drinking water without conventional treatment but after disinfection. Class B – Water for outdoor bathing. Class C – Drinking water with conventional treatment followed by disinfection. Class D – Water for fish culture and wild life propagation. Class E – Water for irrigation, industrial cooling and controlled waste disposal. (Unobj = Unobjectionable).

Sl	Parameter and Unit	A	B	C	D	E
1	Taste	None	--	--	--	--
2	Odour	Unobj	--	--	--	--
3	Colour (True) (Hazen unit)	10	300	300	--	--
4	pH (max) (min : 6.5)	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
5	Conductivity (25oC) uS/cm	--	--	--	1000	2250
6	DO (mg/L) (minimum)	6	5	4	4	--
7	BOD (3d, 27oC) (mg/L)	2	3	3	--	--
8	Total Coliforms (MPN/100 mL)	50	500	5000	--	--
9	TDS (mg/L)	500	--	1500	--	2100
10	Oil and Grease (mg/L)	--	--	0.1	0.1	--
11	Mineral oil (mg/L)	0.01	--	--	--	--
12	Total Hardness (mg/L as CaCO ₃)	300	--	--	--	--
13	Chlorides (mg/L as Cl)	250	--	600	--	600
14	Sulfates (mg/L as SO ₄)	400	--	400	--	1000
15	Nitrates (mg/L as NO ₃)	20	--	50	--	--
16	Free CO ₂ (mg/L)	--	--	--	6	--
17	Free NH ₃ (mg/L as N)	--	--	--	1.2	--
18	Fluorides (mg/L as F)	1.5	1.5	1.5	--	--
19	Calcium (mg/L)	80.10	--	--	--	--
20	Magnesium (mg/L)	24.28	--	--	--	--
21	Copper (mg/L)	1.5	--	1.5	--	--
22	Iron (mg/L)	0.3	--	50	--	--
23	Manganese (mg/L)	0.5	--	--	--	--

Sl	Parameter and Unit	A	B	C	D	E
24	Zinc (mg/L)	15	--	15	--	--
25	Boron (mg/L as B)	--	--	--	--	2
26	Barium (mg/L)	1	--	--	--	--
27	Silver (mg/L)	0.05	--	--	--	--
28	Arsenic Total (mg/L)	0.05	0.2	0.2	--	--
29	Mercury (mg/L)	0.001	--	--	--	--
30	Lead (mg/L)	0.1	--	0.1	--	--
31	Cadmium (mg/L)	0.01	--	0.01	--	--
32	Chromium (VI) (mg/L)	0.05	0.05	0.05	--	--
33	Selenium (mg/L)	0.01	--	0.05	--	--
34	Cyanide (mg/L as CN)	0.05	0.05	0.05	--	--
35	Phenols (mg/L)	0.002	0.005	0.005	--	--
36	Anionic detergents (mg/L as MBAS)	0.2	1	1	--	--
37	PAH (mg/L)	0.2	--	--	--	--
38	Pesticides (ug/L)	0	--	--	--	--
39	Insecticides (ug/L)	--	--	0	--	--
40	Alpha emitters (10^{-6} uCi/mL)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
41	Beta emitters (10^{-6} uCi/mL)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
42	Percent Sodium (%)	--	--	--	--	60
43	Sodium Absorption Ratio	--	--	--	--	26

Designated Best Use Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25C micro mhos/cm Max.2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला शिवपुरी

adfishshi@mp.gov.in

क्र. 427/ससम/तक/ 2024-25

शिवपुरी, दिनांक 14/06/2024

प्रति,

संशोधित-पत्र

क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय

विषय:- :- माननीय राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.95/2024 (श्रीमती वीना भरद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) द्वारा दिनांक 25/04/2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 353/क्षे.कार्या./म.प्र.प्र.नि.बो./एन.जी.टी./2024 गुना, दिनांक 29/05/2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.95/2024 (श्रीमती वीना भरद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग व अन्य) द्वारा दिनांक 25/04/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में विभाग से सम्बंधित बिन्दुओं पर जानकारी निम्नानुसार है -

1. पचीपुरा जलाशय पर कार्यरत समिति के सदस्यों द्वारा केमिकल एवं पेस्टिसाइड के उपयोग से होने वाली क्षति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल कुछ अज्ञात कारणों से कभी कभी कुछ मात्र में मत्स्य हानि होना बताया गया है।

2. चूँकि समिति द्वारा ऐसी किसी भी घटना के बारे में विभाग को तत्समय सूचित नहीं किया गया ताकि समिति की होने वाली क्षति का आंकलन कर उसे जिला पंचायत में वार्षिक लीज में छुट दिलाई जा सके।


सहायक संचालक मत्स्योद्योग
जिला - शिवपुरी (म० प्र०)

प्र.क्र...../ससम/तक/ 2024-25

शिवपुरी, दिनांक /06/2024

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ।


सहायक संचालक मत्स्योद्योग
जिला - शिवपुरी (म० प्र०)

हम नीचे अंगूठा / हस्ताक्षरकृत सदस्य इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक को मत्स्य निरीक्षक नीरज शर्मा पचीपुरा तालाब पर सहायक संचालक मत्स्योद्योग शिवपुरी के आदेशानुसार उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा पचीपुरा तालाब पर मत्स्य पालन संबंधी अधिकार रखने वाली मत्स्योद्योग सह संस्था मर्मा. पचीपुरा के सदस्यों से माननीय राष्ट्रीय हरित व्यापारिकरण पंच भोपाल प्रकरण ए. 95/2024 (श्रीमती वीणा भरद्वाज विरुद्ध जल संसाधन विभाग एवं अन्य) में मछली पालन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त की।

सदस्यों द्वारा बताया गया कि खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से शीत का ताप नही बढ़ है किन्तु कमी - 2 कुछ गाइजों अचानक मछलियां मरी पाई गई थी जिसका हमें कारण सही से नहीं पता है।

यही हमारे सच - सच बयान है जो बचपने पर काम आवे।

उक्त पंचनामा मौके पर लिखा पढा पढकर सुनाया बाद अंगूठा / हस्ताक्षर लिए गए जो बचपने पर काम आवे।

हस्ताक्षर पंचनामा

पंचनामा में आरंभ लिपिबद्ध किया गया

13/06/24

अध्यक्ष (स.स.)

रिक्त बाधम

सहायक अध्यक्ष
म.स.स.प.स.
शिवपुरी

अध्यक्ष
मत्स्योद्योग सह. शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)
तह. पाहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)

नरेश

मौला पंचनामा

मुन्शीलाल

जमालरा

मीना

राजू बाधम

कार्यालय तहसीलदार, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

कमांक / एनजीटी / 2024 / 114

बैराड़, दिनांक 27/6/24.

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गैल कैम्प विजयपुर जिला गुना

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण कमांक 95 / 2024 (श्रीमती वीना भारद्वाज विरुद्ध जल सांघन विभाग व अन्य) द्वारा दिनांक 25.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन।

संदर्भ:-

आपका पत्र कमांक 457 / क्षेत्रीय / म0प्र0प्र0नि0बो0 / एनजीटी / 2024 गुना दिनांक 26.06.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रकरण में निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में जानकारी चाही गई है:-

- 01 Illegal development og house and plotting work undertaken around the submerged area of water bodyl.
— कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है।
- 02 Illegal establishment of milk daries nearby water body.
— कोई दूध डेयरी स्थापित नहीं है।
- 03 Encroachment over government land which was kept vacant, so as to serve which was kept vacant, so as to serve the purpose of buffer zone around the water bound area of the water body in question.
— श्रीमान संयुक्त कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी के द्वारा गठित दल द्वारा दिनांक 20.06.2024 को संयुक्त निरीक्षण के समय जल सांघन विभाग की टीम द्वारा बफर जोन के सम्बंध में कोई जानकारी प्रदाय नहीं की गई न ही कोई मुनारे लगवाये गये हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा मुनारे लगाये जाने के बाद ही बफर जोन की स्थिति स्पष्ट होगी। इस संबंध में जल संसाधन विभाग शिवपुरी को लेख पत्र कमांक / सामा0 / 2024 / 85 दिनांक 24.06.2024 भेजा गया। जिसके प्रत्योत्तर में विभाग द्वारा आपको लेख पत्र कमांक 822 / कार्य / पचीपुरा तालाब / 2024-25 शिवपुरी दिनांक 21.06.2024 भेजा गया है जिनकी छायाप्रति संलग्नानुसार प्रेषित है।
- 04 Encroachment over feeding rivers of the water body such as ber bawdi, Samparwada etc.
— कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पृ.कमांक / एनजीटी / 2024 / 114

प्रतिलिपि:-

श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ।


तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी म0प्र0
बैराड़, दिनांक 27/6/24.


तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

कार्यालय तहसीलदार, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

कमांक/सामा0/2024/85

बैराड़, दिनांक 24/06/2024


प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
जिला शिवपुरी म0प्र0

विषय:- एनजीटी के संयुक्त दल के भ्रमण के समय दिये निर्देशों के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि एनजीटी के संयुक्त दल के पचीपुरा तालाब के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये गये थे कि तालाब के क्षेत्र में मुनारे गडवाये जायें ताकि तालाब की सीमा स्पष्ट रहे। इस सम्बंध में एनजीटी गोपाल न्यायालय में दिनांक 29.06.2024 नियत है।

अतः एनजीटी के संयुक्त दल द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में तालाब के परिक्षेत्र में मुनारे गडवाये जाने के सम्बंध में अपना प्रतिवेदन एनजीटी को भेजकर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।


तहसीलदार
तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
बैराड़, दिनांक 24/06/2024

कमांक/सामा0/2024/85

प्रतिलिपि:-

- 01 श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय परगना पोहरी की ओर सादर सूचनार्थ।


तहसीलदार
तहसीलदार
तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग ,शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 21/06/24

पत्र क्र. 822 /कार्य/ पचीपुरा तालाब/2024-25

प्रति,



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विजयपुर जिला -गुना (म.प्र.)

विषय; माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय ,म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला -गुना भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.95/2024 (श्रीमती बीना भारद्वाज विरुद्ध जलसंसाधन विभाग एवं अन्य)द्वारा दिनांक 25.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत।

-----XXX-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में श्रीमती बीना भारद्वाज द्वारा जलसंसाधन विभाग मध्य प्रदेश एवं अन्य के विरुद्ध रिट दायर की गयी है। दिनांक 20.06.2024 को निरीक्षण कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पचीपुरा तालाब की एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर मुनारे स्थापित किये जाएँ जिससे भूमि पर हुए अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सके।

अतः उक्त निर्देशानुसार एफटीएल एवं एमडब्लूएल लाइन पर स्टोन फिक्सिंग कार्य का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित कर दिया गया है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही स्टोन फिक्सिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :प्राक्कलन की प्रति - 1 नग।

पृ. क्र. /कार्य/ पचीपुरा तालाब/2024-25
प्रतिलिपि :कलेक्टर शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री 21/06/24
जलसंसाधन संभाग,शिवपुरी (म.प्र.)
शिवपुरी दिनांक

कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन संभाग,शिवपुरी (म.प्र.)

